(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमीहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना ।

2. इसके अतिरिक्त राज्य क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को मकानों के निर्माण के लिए राज सहायता देने की एक योजना है ।

3. उपर्युक्त सभी आवास योजना राज्य क्षत्र में हैं तथा उनका कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जा रहा है । आवास सहित सभी राज्य क्षेत्र प्लान योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता वित्त-मंत्रालय द्वारा "समेकित ऋण" तथा "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जा रही है जो किसी विशेष योजना अथवा विकास के शीर्ष से सम्बद्ध नहीं की जाती है । राज्य सरकारें आवास सहित विभिन्न राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए उन द्वारा निर्धारित आवयकताओं तथा प्राथमिकताओं के आधार पर निधियों का नियतन करने में स्वतंत्र हैं ।

4. हाल ही के वर्षों में आवास तथा नगर विकास निगम ने कम लागत के मकानों के निर्माण पर अधिक जोर डाला है । आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा अभी तक जो योजनायें स्वीकृत की गई हैं, उनके पूर्ण होने पर 1,93,240 मकान तथा 39,442 विकसित प्लाट उपलब्ध हो जाएंगे जिससे 2.30 लाख से अधिक परिवारों के लिए मकानों की व्यवस्था हो जाएगी और इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक परिवार निम्न आय वर्ग तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के हैं ।

State wise number of Displaced Persons in the Country

4525. SHRI CHHABIRAM ARGAL: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the statewise number of displaced persons in the country at present; and

(b) the statewise number of families who have been provided with houses and those with housing plots as on the 21st November, 1977?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

सिंचाई के लिये मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता

4526. **श्री छबिराम अर्गल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि योग्य भूमि के कुल क्षेत्रफल की तुलना में राज्यवार सिंचित भूमि की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है और कृषि योग्य भूमि के कुल क्षेत्रफल का केवल 8.1 प्रतिशत सिंचित भूमि है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुये अधिक भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिए मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता देगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भूमि के उपयोग के बारे में 1974-75 के वर्ष तक के आंकड़े उपलब्ध हैं जोकि अनन्तिम हैं । इनके आधार पर कृषि-योग्य क्षेत्र, निवल सिंचित क्षेत्र और कृषि-योग्य क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) 1974-75 के भूमि के उपयोग के आंकड़ों (अनन्तिम) के अनुसार, मध्य प्रदेश में कृषि-योग्य क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र का अनुपात 7.3 प्रतिशत था ।

(ग) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों एवं अनुदानों के रूप में दी जाती हैं जिसका विकास के किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा किसी विशिष्ट स्कीम से सम्बन्ध नहीं होता । चालू वर्ष के दौरान कुछ निर्माणाधीन एवं नई स्कीमों की प्रगति में तेजी लाने के लिए मध्य प्रदेश को 13.00 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता देने का प्रस्ताव हैं ।

विवरण

1974-75 के वर्ष के अन्त में कृषि-योग्य क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र (राज्यवार) की प्रतिशतता ।

(हजार हैक्टेयर)

क्रम सं०	राज्य का नाम	कुल कृषि योग्य क्षेत्र	निवल सिंचित क्षेत्र	कृषि योग्य क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता
1	आंध्र प्रदेश	15837	3346	21.1
2	असम	3223	572(क)	17.7
3	बिहार	11696	2523	21.6
4	गुजरात	12653	1371(ख)	10.8
5	हरियाणा	3777	1779	47.1
6	हिमाचल प्रदेश	776	91	11.7
7	जम्मू और कश्मीर	1065	295	27.7
8	कर्नाटक	12784	1267	9.9
9	केरल	2424	465	19.2
10	मध्य प्रदेश	22356	1635	7.3
11	महाराष्ट्र	21117	1511	7.2
12	मणिपुर	164	65	39.6
13	मेघालय	1191	48(ग)	4.0
14	नागालैंड	112	37	33.0
15	उड़ीसा	8029	927	11.5

1	2	3	4	5
16	सिक्किम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	—
17	पंजाब	4287	3183	74.2
18	राजस्थान	24920	2647	10.6
19	तमिलनाडु	8553	2438	28.5
20	त्रिपुरा	337	30(घ)	8.9
21	उत्तर प्रदेश	21086	7774	36.9
22	पश्चिम बंगाल	7220	1489(ङ)	20.6
23	संघ राज्य क्षेत्र	1475	122	8.3
	अखिल भारतीय	185082	33615	18.2

(क) वर्ष 1953-54 से संबंधित है

(ख) टी० आर० एस० आंकड़ों के आधार पर अनुमानित

(ग) वर्ष 1972-73 से सम्बन्धित

(घ) वर्ष 1973-74 से सम्बन्धित

(ङ) वर्ष 1967–68 से सम्बन्धित

Appointment of Engineering Graduates in CPWD

4527. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether in CPWD, Engineering Graduates have neither been recruited through UPSC under rule 3(a) nor appointed under rule 3(b) to the post of Asstt. Engineer Class II since 1972 whereas about 600 diploma holder have been promoted to man these posts of Asstt. Engineers;

(b) if so, what is the impact on efficiency, smooth functioning of the department with the stoppage of intake of engineering Graduates which was to the extent of 75 per cent upto 1971:

(c) what is the minimum percentage of Engineering Graduates at Asstt. Engineer's level for smooth functioning of the department;

(d) what is the intake percentage of Engineering Graduates at A.Es. level after 1971: and

(e) what steps do the Government intend to take to maintain an adequate intake of Engineering Graduates at A.Es. level?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Government suspended direct recruitment under Rule 3(a) for seven years from 1972. As for recruitment under Rule 3(b), this was not being done even before 1972. Since 1972, 541 posts of Assistant Engineers have been filled up, on an *ad hoc* basis.

(b) and (c). Upto 1971, recruitment was made according to a quota which provided for filling 75 per cent of the vacancies of Assistant Engineers by graduates. Because of a Court decision, the quota became invalid. However, even when the quota was in operation the actual availability of graduates in the cadre ranged between 50 to 60 per cent. Now, it has come down to 40 per cent. This has not affected the efficiency and smooth functioning of the department. No